

# कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) एवं उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा

## उद्घोषणा

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 15 के अन्तर्गत राज्य सरकार के द्वारा प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ. 15(24) पंरावि/आरक्षण/विधि/2026/42 दिनांक 24 जुलाई, 2026 के अन्तर्गत मैं गजेन्द्र सिंह, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (प्राधिकृत अधिकारी) (पंचायत) एस.डी.एम. तालेड़ा जिला बूंदी की पंचायत समिति तालेड़ा की ग्राम पंचायत अकतासा वार्ड पंच के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये निर्धारित आरक्षण प्रावधानों एवं नियमों के अन्तर्गत व विधिवत लाटरी द्वारा निकाले जाने के पश्चात् पंचायत आम चुनाव 2026 के लिये निम्न प्रकार से ग्राम पंचायत के वार्डों को उक्त वर्गों हेतु आरक्षित घोषित करता हूँ:-

| पंचायत का नाम | क्र.स. | आरक्षित वर्ग का नाम एवं वार्ड्स की संख्या | वर्गीकरण | वार्ड का नम्बर | विशेष विवरण |
|---------------|--------|-------------------------------------------|----------|----------------|-------------|
| अकतासा        | 1      | अनुसूचित जाति (1)                         | SC       | 5              |             |
|               | 2      | अनुसूचित जनजाति (1)                       | ST       | 1              |             |
|               | 3      | अन्य पिछड़ा वर्ग (1)                      | OBC(W)   | 4              |             |
|               | 4      | सामान्य महिला (3)                         | GEN(W)   | 8              |             |
|               | 5      |                                           | GEN(W)   | 3              |             |
|               | 6      |                                           | GEN(W)   | 7              |             |
|               | 7      | अनारक्षित वार्ड (3)                       | UR       | 2              |             |
|               | 8      |                                           | UR       | 6              |             |
|               | 9      |                                           | UR       | 9              |             |

नोट:- (W) महिला पढा जावे।

स्थान:- तालेड़ा

दिनांक: 24 सितम्बर 2026

(गजेन्द्र सिंह)  
उपखण्ड अधिकारी  
(प्राधिकृत अधिकारी)

# कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) एवं उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा

## उद्घोषणा

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 15 के अन्तर्गत राज्य सरकार के द्वारा प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ. 15(24) पंरावि/आरक्षण/विधि/2026/42 दिनांक 24 जुलाई, 2026 के अन्तर्गत मैं गजेंद्र सिंह, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (प्राधिकृत अधिकारी) (पंचायत) एस.डी.एम. तालेड़ा जिला बूंदी की पंचायत समिति तालेड़ा की ग्राम पंचायत जलोदी वार्ड पंच के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये निर्धारित आरक्षण प्रावधानों एवं नियमों के अन्तर्गत व विधिवत लाटरी द्वारा निकाले जाने के पश्चात् पंचायत आम चुनाव 2026 के लिये निम्न प्रकार से ग्राम पंचायत के वार्डों को उक्त वर्गों हेतु आरक्षित घोषित करता हूँ:-

| पंचायत का नाम | क्र.स. | आरक्षित वर्ग का नाम एवं वार्डस की संख्या | वर्गीकरण | वार्ड का नम्बर | विशेष विवरण |
|---------------|--------|------------------------------------------|----------|----------------|-------------|
| जलोदी         | 1      | अनुसूचित जाति (1)                        | SC(W)    | 7              |             |
|               | 2      | अनुसूचित जनजाति (1)                      | ST       | 2              |             |
|               | 3      | अन्य पिछड़ा वर्ग (1)                     | OBC      | 1              |             |
|               | 4      | सामान्य महिला (2)                        | GEN(W)   | 3              |             |
|               | 5      |                                          | GEN(W)   | 6              |             |
|               | 6      | अनारक्षित वार्ड (2)                      | UR       | 4              |             |
|               | 7      |                                          | UR       | 5              |             |

नोट:- ( W ) महिला पढ़ा जावे।

स्थान:- तालेड़ा

दिनांक: 24 सितम्बर 2026

(गजेंद्र सिंह)  
उपखण्ड अधिकारी  
(प्राधिकृत अधिकारी)  
तालेड़ा

# कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) एवं उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा

## उद्घोषणा

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 15 के अन्तर्गत राज्य सरकार के द्वारा प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ. 15(24) पंरावि/आरक्षण/विधि/2026/42 दिनांक 24 जुलाई, 2026 के अन्तर्गत मैं गजेन्द्र सिंह, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (प्राधिकृत अधिकारी) (पंचायत) एस.डी.एम. तालेड़ा जिला बूंदी की पंचायत समिति तालेड़ा की ग्राम पंचायत देहित वार्ड पंच के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये निर्धारित आरक्षण प्रावधानों एवं नियमों के अन्तर्गत व विधिवत लाटरी द्वारा निकाले जाने के पश्चात् पंचायत आम चुनाव 2026 के लिये निम्न प्रकार से ग्राम पंचायत के वार्डों को उक्त वर्गों हेतु आरक्षित घोषित करता हूँ:-

| पंचायत का नाम | क्र.स. | आरक्षित वर्ग का नाम एवं वार्डस की संख्या | वर्गीकरण | वार्ड का नम्बर | विशेष विवरण |
|---------------|--------|------------------------------------------|----------|----------------|-------------|
| देहित         | 1      | अनुसूचित जाति (2)                        | SC(W)    | 1              |             |
|               | 2      |                                          | SC       | 4              |             |
|               | 3      | अनुसूचित जनजाति (1)                      | ST       | 6              |             |
|               | 4      | अन्य पिछड़ा वर्ग (1)                     | OBC      | 3              |             |
|               | 5      | सामान्य महिला (3)                        | GEN(W)   | 9              |             |
|               | 6      |                                          | GEN(W)   | 8              |             |
|               | 7      |                                          | GEN(W)   | 5              |             |
|               | 8      | अनारक्षित वार्ड (2)                      | UR       | 2              |             |
|               | 9      |                                          | UR       | 7              |             |

नोट:- (W) महिला पदा जावे।

स्थान:- तालेड़ा

दिनांक: 24 सितम्बर 2026

(गजेन्द्र सिंह)  
उपखण्ड अधिकारी  
(प्राधिकृत अधिकारी) तालेड़ा

## कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) एवं उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा

### उद्घोषणा

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 15 के अन्तर्गत राज्य सरकार के द्वारा प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ. 15(24) पंरावि/आरक्षण/विधि/2026/42 दिनांक 24 जुलाई, 2026 के अन्तर्गत मैं गजेंद्र सिंह, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (प्राधिकृत अधिकारी) (पंचायत) एस.डी.एम. तालेड़ा जिला बूंदी की पंचायत समिति तालेड़ा की ग्राम पंचायत भवानीपुरा वार्ड पंच के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये निर्धारित आरक्षण प्रावधानों एवं नियमों के अन्तर्गत व विधिवत लाटरी द्वारा निकाले जाने के पश्चात् पंचायत आम चुनाव 2026 के लिये निम्न प्रकार से ग्राम पंचायत के वार्डों को उक्त वर्गों हेतु आरक्षित घोषित करता हूँ:-

| पंचायत का नाम | क्र.स. | आरक्षित वर्ग का नाम एवं वार्डस की संख्या | वर्गीकरण | वार्ड का नम्बर | विशेष विवरण |
|---------------|--------|------------------------------------------|----------|----------------|-------------|
| भवानीपुरा     | 1      | अनुसूचित जाति (1)                        | SC       | 4              |             |
|               | 2      | अनुसूचित जनजाति (1)                      | ST(W)    | 7              |             |
|               | 3      | अन्य पिछड़ा वर्ग (1)                     | OBC      | 3              |             |
|               | 4      | सामान्य महिला (2)                        | GEN(W)   | 2              |             |
|               | 5      |                                          | GEN(W)   | 5              |             |
|               | 6      | अनारक्षित वार्ड (2)                      | UR       | 1              |             |
|               | 7      |                                          | UR       | 6              |             |

नोट:- (W) महिला पदा जावे।

स्थान:- तालेड़ा

दिनांक: 24 सितम्बर 2026

  
(गजेंद्र सिंह)  
उपखण्ड अधिकारी  
(प्राधिकृत अधिकारी) तालेड़ा

## कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) एवं उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा

### उद्घोषणा

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 15 के अन्तर्गत राज्य सरकार के द्वारा प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ. 15(24) पंरावि/आरक्षण/विधि/2026/42 दिनांक 24 जुलाई, 2026 के अन्तर्गत मैं गजेंद्र सिंह, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (प्राधिकृत अधिकारी) (पंचायत) एस.डी.एम. तालेड़ा जिला बूंदी की पंचायत समिति तालेड़ा की ग्राम पंचायत गामछ वार्ड पंच के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये निर्धारित आरक्षण प्रावधानों एवं नियमों के अन्तर्गत व विधिवत लाटरी द्वारा निकाले जाने के पश्चात् पंचायत आम चुनाव 2026 के लिये निम्न प्रकार से ग्राम पंचायत के वार्डों को उक्त वर्गों हेतु आरक्षित घोषित करता हूँ:-

| पंचायत का नाम | क्र.स. | आरक्षित वर्ग का नाम एवं वार्डस की संख्या | वर्गीकरण | वार्ड का नम्बर | विशेष विवरण |
|---------------|--------|------------------------------------------|----------|----------------|-------------|
| गामछ          | 1      | अनुसूचित जाति (1)                        | SC(W)    | 4              |             |
|               | 2      | अनुसूचित जनजाति (1)                      | ST       | 7              |             |
|               | 3      | अन्य पिछड़ा वर्ग (1)                     | OBC      | 1              |             |
|               | 4      | सामान्य महिला (2)                        | GEN(W)   | 3              |             |
|               | 5      |                                          | GEN(W)   | 6              |             |
|               | 6      | अनारक्षित वार्ड (2)                      | UR       | 2              |             |
|               | 7      |                                          | UR       | 5              |             |

नोट:- ( W ) महिला पदा जावे।

स्थान:- तालेड़ा

दिनांक: 24 सितम्बर 2026

(गजेंद्र सिंह)  
उपखण्ड अधिकारी  
(प्राधिकृत अधिकारी) तालेड़ा

# कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) एवं उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा

## उद्घोषणा

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 15 के अन्तर्गत राज्य सरकार के द्वारा प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ. 15(24) पंरावि/आरक्षण/विधि/2026/42 दिनांक 24 जुलाई, 2026 के अन्तर्गत मैं गजेन्द्र सिंह, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (प्राधिकृत अधिकारी) (पंचायत) एस.डी.एम. तालेड़ा जिला बूंदी की पंचायत समिति तालेड़ा की ग्राम पंचायत जमीतपुरा वार्ड पंच के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये निर्धारित आरक्षण प्रावधानों एवं नियमों के अन्तर्गत व विधिवत लाटरी द्वारा निकाले जाने के पश्चात् पंचायत आम चुनाव 2026 के लिये निम्न प्रकार से ग्राम पंचायत के वार्डों को उक्त वर्गों हेतु आरक्षित घोषित करता हूँ:-

| पंचायत का नाम | क्र.स. | आरक्षित वर्ग का नाम एवं वार्डस की संख्या | वर्गीकरण | वार्ड का नम्बर | विशेष विवरण |
|---------------|--------|------------------------------------------|----------|----------------|-------------|
| जमीतपुरा      | 1      | अनुसूचित जाति (5)                        | SC(W)    | 11             |             |
|               | 2      |                                          | SC(W)    | 1              |             |
|               | 3      |                                          | SC       | 4              |             |
|               | 4      |                                          | SC       | 6              |             |
|               | 5      |                                          | SC       | 10             |             |
|               | 6      | अन्य पिछड़ा वर्ग (2)                     | OBC(W)   | 13             |             |
|               | 7      |                                          | OBC      | 7              |             |
|               | 8      | सामान्य महिला (4)                        | GEN(W)   | 5              |             |
|               | 9      |                                          | GEN(W)   | 2              |             |
|               | 10     |                                          | GEN(W)   | 9              |             |
|               | 11     |                                          | GEN(W)   | 14             |             |
|               | 12     | अनारक्षित वार्ड (4)                      | UR       | 3              |             |
|               | 13     |                                          | UR       | 8              |             |
|               | 14     |                                          | UR       | 12             |             |
|               | 15     |                                          | UR       | 15             |             |

नोट:- (W) महिला पढ़ा जावे।

स्थान:- तालेड़ा

दिनांक: 24 सितम्बर 2026

(गजेन्द्र सिंह)  
उपखण्ड अधिकारी  
(प्राधिकृत अधिकारी) तालेड़ा

# कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) एवं उपखण्ड अधिकारी, तालेडा

## उद्घोषणा

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 15 के अन्तर्गत राज्य सरकार के द्वारा प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ. 15(24) पंरावि/आरक्षण/विधि/2026/42 दिनांक 24 जुलाई, 2026 के अन्तर्गत मैं गजेंद्र सिंह, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (प्राधिकृत अधिकारी) (पंचायत) एस.डी.एम. तालेडा जिला बूंदी की पंचायत समिति तालेडा की ग्राम पंचायत भरता बावड़ी वार्ड पंच के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये निर्धारित आरक्षण प्रावधानों एवं नियमों के अन्तर्गत व विधिवत लाटरी द्वारा निकाले जाने के पश्चात् पंचायत आम चुनाव 2026 के लिये निम्न प्रकार से ग्राम पंचायत के वार्डों को उक्त वर्गों हेतु आरक्षित घोषित करता हूँ:-

| पंचायत का नाम | क्र.स. | आरक्षित वर्ग का नाम एवं वार्डस की संख्या | वर्गीकरण | वार्ड का नम्बर | विशेष विवरण |
|---------------|--------|------------------------------------------|----------|----------------|-------------|
| भरता बावड़ी   | 1      | अनुसूचित जाति (1)                        | SC       | 7              |             |
|               | 2      | अनुसूचित जनजाति (2)                      | ST(W)    | 2              |             |
|               | 3      |                                          | ST       | 3              |             |
|               | 4      | सामान्य महिला (2)                        | GEN(W)   | 1              |             |
|               | 5      |                                          | GEN(W)   | 4              |             |
|               | 6      | अनारक्षित वार्ड (2)                      | UR       | 5              |             |
|               | 7      |                                          | UR       | 6              |             |

नोट:- ( W ) महिला पढ़ा जावे।

स्थान:- तालेडा

दिनांक: 24 सितम्बर 2026

(गजेंद्र सिंह)  
उपखण्ड अधिकारी  
(प्राधिकृत अधिकारी) तालेडा

## कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) एवं उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा

### उद्घोषणा

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 15 के अन्तर्गत राज्य सरकार के द्वारा प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ. 15(24) पंरावि/आरक्षण/विधि/2026/42 दिनांक 24 जुलाई, 2026 के अन्तर्गत मैं गजेंद्र सिंह, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (प्राधिकृत अधिकारी) (पंचायत) एस.डी.एम. तालेड़ा जिला बूंदी की पंचायत समिति तालेड़ा की ग्राम पंचायत सीतापुरा वार्ड पंच के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये निर्धारित आरक्षण प्रावधानों एवं नियमों के अन्तर्गत व विधिवत लाटरी द्वारा निकाले जाने के पश्चात् पंचायत आम चुनाव 2026 के लिये निम्न प्रकार से ग्राम पंचायत के वार्डों को उक्त वर्गों हेतु आरक्षित घोषित करता हूँ:-

| पंचायत का नाम | क्र.स. | आरक्षित वर्ग का नाम एवं वार्डस की संख्या | वर्गीकरण | वार्ड का नम्बर | विशेष विवरण |
|---------------|--------|------------------------------------------|----------|----------------|-------------|
| सीतापुरा      | 1      | अनुसूचित जाति (1)                        | SC       | 2              |             |
|               | 2      | अनुसूचित जनजाति (1)                      | ST       | 3              |             |
|               | 3      | अन्य पिछड़ा वर्ग (1)                     | OBC(W)   | 7              |             |
|               | 4      | सामान्य महिला (2)                        | GEN(W)   | 6              |             |
|               | 5      |                                          | GEN(W)   | 4              |             |
|               | 6      | अनारक्षित वार्ड (2)                      | UR       | 5              |             |
|               | 7      |                                          | UR       | 1              |             |

नोट:- ( W ) महिला पदा जावे।

स्थान:- तालेड़ा

दिनांक: 24 सितम्बर 2026

(गजेंद्र सिंह)  
उपखण्ड अधिकारी  
(प्राधिकृत अधिकारी) तालेड़ा

# कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) एवं उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा

## उद्घोषणा

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 15 के अन्तर्गत राज्य सरकार के द्वारा प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ. 15(24) पंरावि/आरक्षण/विधि/2026/42 दिनांक 24 जुलाई, 2026 के अन्तर्गत मैं गजेंद्र सिंह, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (प्राधिकृत अधिकारी) (पंचायत) एस.डी.एम. तालेड़ा जिला बूंदी की पंचायत समिति तालेड़ा की ग्राम पंचायत बाजड वार्ड पंच के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये निर्धारित आरक्षण प्रावधानों एवं नियमों के अन्तर्गत व विधिवत लाटरी द्वारा निकाले जाने के पश्चात् पंचायत आम चुनाव 2026 के लिये निम्न प्रकार से ग्राम पंचायत के वार्डों को उक्त वर्गों हेतु आरक्षित घोषित करता हूँ:-

| पंचायत का नाम | क्र.स. | आरक्षित वर्ग का नाम एवं वार्डस की संख्या | वर्गीकरण | वार्ड का नम्बर | विशेष विवरण |
|---------------|--------|------------------------------------------|----------|----------------|-------------|
| बाजड          | 1      | अनुसूचित जाति (1)                        | SC       | 2              |             |
|               | 2      | अनुसूचित जनजाति (1)                      | ST(W)    | 3              |             |
|               | 3      | अन्य पिछड़ा वर्ग (1)                     | OBC      | 7              |             |
|               | 4      | सामान्य महिला (2)                        | GEN(W)   | 4              |             |
|               | 5      |                                          | GEN(W)   | 5              |             |
|               | 6      | अनारक्षित वार्ड (2)                      | UR       | 1              |             |
|               | 7      |                                          | UR       | 6              |             |

नोट:- (W) महिला पदा जावे।

स्थान:- तालेड़ा

दिनांक: 24 सितम्बर 2026

(गजेंद्र सिंह)  
उपखण्ड अधिकारी  
(प्राधिकृत अधिकारी) तालेड़ा

# कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) एवं उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा

## उद्घोषणा

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 15 के अन्तर्गत राज्य सरकार के द्वारा प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ. 15(24) पंरावि/आरक्षण/विधि/2026/42 दिनांक 24 जुलाई, 2026 के अन्तर्गत मैं गजेन्द्र सिंह, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (प्राधिकृत अधिकारी) (पंचायत) एस.डी.एम. तालेड़ा जिला बूंदी की पंचायत समिति तालेड़ा की ग्राम पंचायत बल्लोप वार्ड पंच के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये निर्धारित आरक्षण प्रावधानों एवं नियमों के अन्तर्गत व विधिवत लाटरी द्वारा निकाले जाने के पश्चात् पंचायत आम चुनाव 2026 के लिये निम्न प्रकार से ग्राम पंचायत के वार्डों को उक्त वर्गों हेतु आरक्षित घोषित करता हूँ:-

| पंचायत का नाम | क्र.स. | आरक्षित वर्ग का नाम एवं वार्डस की संख्या | वर्गीकरण | वार्ड का नम्बर | विशेष विवरण |
|---------------|--------|------------------------------------------|----------|----------------|-------------|
| बल्लोप        | 1      | अनुसूचित जाति (2)                        | SC(W)    | 4              |             |
|               | 2      |                                          | SC       | 5              |             |
|               | 3      | अनुसूचित जनजाति (1)                      | ST       | 3              |             |
|               | 4      | अन्य पिछड़ा वर्ग (1)                     | OBC      | 1              |             |
|               | 5      | सामान्य महिला (3)                        | GEN(W)   | 8              |             |
|               | 6      |                                          | GEN(W)   | 7              |             |
|               | 7      |                                          | GEN(W)   | 9              |             |
|               | 8      | अनारक्षित वार्ड (2)                      | UR       | 2              |             |
|               | 9      |                                          | UR       | 6              |             |

नोट:- ( W ) महिला पढ़ा जावे।

स्थान:- तालेड़ा

दिनांक: 24 सितम्बर 2026

(गजेन्द्र सिंह)  
उपखण्ड अधिकारी  
(प्राधिकृत अधिकारी) तालेड़ा

# कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) एवं उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा

## उद्घोषणा

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 15 के अन्तर्गत राज्य सरकार के द्वारा प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ. 15(24) पंरावि/आरक्षण/विधि/2026/42 दिनांक 24 जुलाई, 2026 के अन्तर्गत मैं गजेन्द्र सिंह, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (प्राधिकृत अधिकारी) (पंचायत) एस.डी.एम. तालेड़ा जिला बूंदी की पंचायत समिति तालेड़ा की ग्राम पंचायत जाखमुण्ड वार्ड पंच के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये निर्धारित आरक्षण प्रावधानों एवं नियमों के अन्तर्गत व विधिवत लाटरी द्वारा निकाले जाने के पश्चात् पंचायत आम चुनाव 2026 के लिये निम्न प्रकार से ग्राम पंचायत के वार्डों को उक्त वर्गों हेतु आरक्षित घोषित करता हूँ:-

| पंचायत का नाम | क्र.स. | आरक्षित वर्ग का नाम एवं वार्डस की संख्या | वर्गीकरण | वार्ड का नम्बर | विशेष विवरण |
|---------------|--------|------------------------------------------|----------|----------------|-------------|
| जाखमुण्ड      | 1      | अनुसूचित जाति (3)                        | SC(W)    | 3              |             |
|               | 2      |                                          | SC       | 2              |             |
|               | 3      |                                          | SC       | 1              |             |
|               | 4      | अनुसूचित जनजाति (1)                      | ST       | 10             |             |
|               | 5      | अन्य पिछड़ा वर्ग (1)                     | OBC      | 6              |             |
|               | 6      | सामान्य महिला (4)                        | GEN(W)   | 4              |             |
|               | 7      |                                          | GEN(W)   | 7              |             |
|               | 8      |                                          | GEN(W)   | 11             |             |
|               | 9      |                                          | GEN(W)   | 8              |             |
|               | 10     | अनारक्षित वार्ड (2)                      | UR       | 5              |             |
|               | 11     |                                          | UR       | 9              |             |

नोट:- ( W ) महिला पढा जावे।

स्थान:- तालेड़ा

दिनांक: 24 सितम्बर 2026

  
गजेन्द्र सिंह  
उपखण्ड अधिकारी  
(प्राधिकृत अधिकारी) तालेड़ा

# कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) एवं उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा

## उद्घोषणा

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 15 के अन्तर्गत राज्य सरकार के द्वारा प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ. 15(24) पंरावि/आरक्षण/विधि/2026/42 दिनांक 24 जुलाई, 2026 के अन्तर्गत मैं गजेन्द्र सिंह, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (प्राधिकृत अधिकारी) (पंचायत) एस.डी.एम. तालेड़ा जिला बूंदी की पंचायत समिति तालेड़ा की ग्राम पंचायत रघुनाथपुरा वार्ड पंच के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये निर्धारित आरक्षण प्रावधानों एवं नियमों के अन्तर्गत व विधिवत लाटरी द्वारा निकाले जाने के पश्चात् पंचायत आम चुनाव 2026 के लिये निम्न प्रकार से ग्राम पंचायत के वार्डों को उक्त वर्गों हेतु आरक्षित घोषित करता हूँ:-

| पंचायत का नाम | क्र.स. | आरक्षित वर्ग का नाम एवं वार्डस की संख्या | वर्गीकरण | वार्ड का नम्बर | विशेष विवरण |
|---------------|--------|------------------------------------------|----------|----------------|-------------|
| रघुनाथपुरा    | 1      | अनुसूचित जाति (2)                        | SC(W)    | 3              |             |
|               | 2      |                                          | SC       | 2              |             |
|               | 3      | अनुसूचित जनजाति (1)                      | ST       | 1              |             |
|               | 4      | अन्य पिछड़ा वर्ग (1)                     | OBC      | 9              |             |
|               | 5      | सामान्य महिला (3)                        | GEN(W)   | 4              |             |
|               | 6      |                                          | GEN(W)   | 5              |             |
|               | 7      |                                          | GEN(W)   | 7              |             |
|               | 8      | अनारक्षित वार्ड (2)                      | UR       | 6              |             |
|               | 9      |                                          | UR       | 8              |             |

नोट:- ( W ) महिला पढ़ा जावे।

स्थान:- तालेड़ा

दिनांक: 24 सितम्बर 2026

(गजेन्द्र सिंह)  
उपखण्ड अधिकारी  
(प्राधिकृत अधिकारी) तालेड़ा

# कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) एवं उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा

## उद्घोषणा

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 15 के अन्तर्गत राज्य सरकार के द्वारा प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ. 15(24) पंरावि/आरक्षण/विधि/2026/42 दिनांक 24 जुलाई, 2026 के अन्तर्गत मैं गजेंद्र सिंह, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (प्राधिकृत अधिकारी) (पंचायत) एस.डी.एम. तालेड़ा जिला बूंदी की पंचायत समिति तालेड़ा की ग्राम पंचायत ठीकरिया चारणान् वार्ड पंच के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये निर्धारित आरक्षण प्रावधानों एवं नियमों के अन्तर्गत व विधिवत लाटरी द्वारा निकाले जाने के पश्चात् पंचायत आम चुनाव 2026 के लिये निम्न प्रकार से ग्राम पंचायत के वार्डों को उक्त वर्गों हेतु आरक्षित घोषित करता हूँ:-

| पंचायत का नाम   | क्र.स. | आरक्षित वर्ग का नाम एवं वार्डस की संख्या | वर्गीकरण | वार्ड का नम्बर | विशेष विवरण |
|-----------------|--------|------------------------------------------|----------|----------------|-------------|
| ठीकरिया चारणान् | 1      | अनुसूचित जाति (2)                        | SC(W)    | 4              |             |
|                 | 2      |                                          | SC       | 6              |             |
|                 | 3      | अनुसूचित जनजाति (2)                      | ST(W)    | 7              |             |
|                 | 4      |                                          | ST       | 11             |             |
|                 | 5      | अन्य पिछड़ा वर्ग (1)                     | OBC      | 1              |             |
|                 | 6      | सामान्य महिला (3)                        | GEN(W)   | 10             |             |
|                 | 7      |                                          | GEN(W)   | 3              |             |
|                 | 8      |                                          | GEN(W)   | 8              |             |
|                 | 9      | अनारक्षित वार्ड (3)                      | UR       | 2              |             |
|                 | 10     |                                          | UR       | 5              |             |
|                 | 11     |                                          | UR       | 9              |             |

नोट:- ( W ) महिला पढा जावे।

स्थान:- तालेड़ा

दिनांक: 24 सितम्बर 2026

(गजेंद्र सिंह)  
उपखण्ड अधिकारी  
(प्राधिकृत अधिकारी)  
तालेड़ा

# कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) एवं उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा

## उद्घोषणा

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 15 के अन्तर्गत राज्य सरकार के द्वारा प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ. 15(24) पंरावि/आरक्षण/विधि/2026/42 दिनांक 24 जुलाई, 2026 के अन्तर्गत मैं गजेंद्र सिंह, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (प्राधिकृत अधिकारी) (पंचायत) एस.डी.एम. तालेड़ा जिला बूंदी की पंचायत समिति तालेड़ा की ग्राम पंचायत नोताडा भोपत वार्ड पंच के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये निर्धारित आरक्षण प्रावधानों एवं नियमों के अन्तर्गत व विधिवत लाटरी द्वारा निकाले जाने के पश्चात् पंचायत आम चुनाव 2026 के लिये निम्न प्रकार से ग्राम पंचायत के वार्डों को उक्त वर्गों हेतु आरक्षित घोषित करता हूँ:-

| पंचायत का नाम | क्र.स. | आरक्षित वर्ग का नाम एवं वार्डस की संख्या | वर्गीकरण | वार्ड का नम्बर | विशेष विवरण |
|---------------|--------|------------------------------------------|----------|----------------|-------------|
| नोताडा भोपत   | 1      | अनुसूचित जाति (2)                        | SC(W)    | 4              |             |
|               | 2      |                                          | SC       | 3              |             |
|               | 3      | अनुसूचित जनजाति (1)                      | ST       | 1              |             |
|               | 4      | अन्य पिछड़ा वर्ग (1)                     | OBC      | 7              |             |
|               | 5      | सामान्य महिला (3)                        | GEN(W)   | 5              |             |
|               | 6      |                                          | GEN(W)   | 9              |             |
|               | 7      |                                          | GEN(W)   | 2              |             |
|               | 8      | अनारक्षित वार्ड (2)                      | UR       | 6              |             |
|               | 9      |                                          | UR       | 8              |             |

नोट:- ( W ) महिला पदा जावे।

स्थान:- तालेड़ा

दिनांक: 24 सितम्बर 2026

(गजेंद्र सिंह)  
उपखण्ड अधिकारी  
(प्राधिकृत अधिकारी) तालेड़ा

# कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) एवं उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा

## उद्घोषणा

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 15 के अन्तर्गत राज्य सरकार के द्वारा प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ. 15(24) पंरावि/आरक्षण/विधि/2026/42 दिनांक 24 जुलाई, 2026 के अन्तर्गत मैं गजेन्द्र सिंह, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (प्राधिकृत अधिकारी) (पंचायत) एस.डी.एम. तालेड़ा जिला बूंदी की पंचायत समिति तालेड़ा की ग्राम पंचायत सीन्ता वार्ड पंच के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये निर्धारित आरक्षण प्रावधानों एवं नियमों के अन्तर्गत व विधिवत लाटरी द्वारा निकाले जाने के पश्चात् पंचायत आम चुनाव 2026 के लिये निम्न प्रकार से ग्राम पंचायत के वार्डों को उक्त वर्गों हेतु आरक्षित घोषित करता हूँ:-

| पंचायत का नाम | क्र.स. | आरक्षित वर्ग का नाम एवं वार्डस की संख्या | वर्गीकरण | वार्ड का नम्बर | विशेष विवरण |
|---------------|--------|------------------------------------------|----------|----------------|-------------|
| सीन्ता        | 1      | अनुसूचित जाति (2)                        | SC(W)    | 3              |             |
|               | 2      |                                          | SC       | 9              |             |
|               | 3      | अनुसूचित जनजाति (2)                      | ST(W)    | 5              |             |
|               | 4      |                                          | ST       | 4              |             |
|               | 5      | अन्य पिछड़ा वर्ग (1)                     | OBC      | 7              |             |
|               | 6      | सामान्य महिला (3)                        | GEN(W)   | 6              |             |
|               | 7      |                                          | GEN(W)   | 10             |             |
|               | 8      |                                          | GEN(W)   | 1              |             |
|               | 9      | अनारक्षित वार्ड (3)                      | UR       | 2              |             |
|               | 10     |                                          | UR       | 8              |             |
|               | 11     |                                          | UR       | 11             |             |

नोट:- (W) महिला पदा जावे।

स्थान:- तालेड़ा

दिनांक: 24 सितम्बर 2026

(गजेन्द्र सिंह)  
उपखण्ड अधिकारी  
(प्राधिकृत अधिकारी) तालेड़ा

# कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) एवं उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा

## उद्घोषणा

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 15 के अन्तर्गत राज्य सरकार के द्वारा प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ. 15(24) पंरावि/आरक्षण/विधि/2026/42 दिनांक 24 जुलाई, 2026 के अन्तर्गत मैं गजेन्द्र सिंह, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (प्राधिकृत अधिकारी) (पंचायत) एस.डी.एम. तालेड़ा जिला बूंदी की पंचायत समिति तालेड़ा की ग्राम पंचायत मेहराना वार्ड पंच के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये निर्धारित आरक्षण प्रावधानों एवं नियमों के अन्तर्गत व विधिवत लाटरी द्वारा निकाले जाने के पश्चात् पंचायत आम चुनाव 2026 के लिये निम्न प्रकार से ग्राम पंचायत के वार्डों को उक्त वर्गों हेतु आरक्षित घोषित करता हूँ:-

| पंचायत का नाम | क्र.स. | आरक्षित वर्ग का नाम एवं वार्डस की संख्या | वर्गीकरण | वार्ड का नम्बर | विशेष विवरण |
|---------------|--------|------------------------------------------|----------|----------------|-------------|
| मेहराना       | 1      | अनुसूचित जाति (1)                        | SC       | 5              |             |
|               | 2      | अनुसूचित जनजाति (2)                      | ST(W)    | 7              |             |
|               | 3      |                                          | ST       | 3              |             |
|               | 4      | सामान्य महिला (2)                        | GEN(W)   | 6              |             |
|               | 5      |                                          | GEN(W)   | 1              |             |
|               | 6      | अनारक्षित वार्ड (2)                      | UR       | 2              |             |
|               | 7      |                                          | UR       | 4              |             |

नोट:- ( W ) महिला पढ़ा जावे।

स्थान:- तालेड़ा

दिनांक: 24 सितम्बर 2026

(गजेन्द्र सिंह)  
उपखण्ड अधिकारी  
(प्राधिकृत अधिकारी) तालेड़ा

# कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) एवं उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा

## उद्घोषणा

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 15 के अन्तर्गत राज्य सरकार के द्वारा प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ. 15(24) पंरावि/आरक्षण/विधि/2026/42 दिनांक 24 जुलाई, 2026 के अन्तर्गत मैं गजेंद्र सिंह, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (प्राधिकृत अधिकारी) (पंचायत) एस.डी.एम. तालेड़ा जिला बूंदी की पंचायत समिति तालेड़ा की ग्राम पंचायत देलुन्दा वार्ड पंच के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये निर्धारित आरक्षण प्रावधानों एवं नियमों के अन्तर्गत व विधिवत लाटरी द्वारा निकाले जाने के पश्चात् पंचायत आम चुनाव 2026 के लिये निम्न प्रकार से ग्राम पंचायत के वार्डों को उक्त वर्गों हेतु आरक्षित घोषित करता हूँ:-

| पंचायत का नाम | क्र.स. | आरक्षित वर्ग का नाम एवं वार्डस की संख्या | वर्गीकरण | वार्ड का नम्बर | विशेष विवरण |
|---------------|--------|------------------------------------------|----------|----------------|-------------|
| देलुन्दा      | 1      | अनुसूचित जाति (2)                        | SC(W)    | 4              |             |
|               | 2      |                                          | SC       | 3              |             |
|               | 3      | अनुसूचित जनजाति (1)                      | ST       | 5              |             |
|               | 4      | अन्य पिछड़ा वर्ग (1)                     | OBC      | 6              |             |
|               | 5      | सामान्य महिला (3)                        | GEN(W)   | 1              |             |
|               | 6      |                                          | GEN(W)   | 8              |             |
|               | 7      |                                          | GEN(W)   | 2              |             |
|               | 8      | अनारक्षित वार्ड (2)                      | UR       | 7              |             |
|               | 9      |                                          | UR       | 9              |             |

नोट:- (W) महिला पढ़ा जावे।

स्थान:- तालेड़ा

दिनांक: 24 सितम्बर 2026

गजेंद्र सिंह  
उपखण्ड अधिकारी  
(प्राधिकृत अधिकारी) तालेड़ा

# कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) एवं उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा

## उद्घोषणा

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 15 के अन्तर्गत राज्य सरकार के द्वारा प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ. 15(24) पंचायति/आरक्षण/विधि/2026/42 दिनांक 24 जुलाई, 2026 के अन्तर्गत मैं गजेंद्र सिंह, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (प्राधिकृत अधिकारी) (पंचायत) एस.डी.एम. तालेड़ा जिला बूंदी की पंचायत समिति तालेड़ा की ग्राम पंचायत ठीकरिया कलां वार्ड पंच के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये निर्धारित आरक्षण प्रावधानों एवं नियमों के अन्तर्गत व विधिवत लाटरी द्वारा निकाले जाने के पश्चात् पंचायत आम चुनाव 2026 के लिये निम्न प्रकार से ग्राम पंचायत के वार्डों को उक्त वर्गों हेतु आरक्षित घोषित करता हूँ:-

| पंचायत का नाम | क्र.स. | आरक्षित वर्ग का नाम एवं वार्डस की संख्या | वर्गीकरण | वार्ड का नम्बर | विशेष विवरण |
|---------------|--------|------------------------------------------|----------|----------------|-------------|
| ठीकरिया कलां  | 1      | अनुसूचित जाति (2)                        | SC(W)    | 5              |             |
|               | 2      |                                          | SC       | 6              |             |
|               | 3      | अनुसूचित जनजाति (1)                      | ST       | 7              |             |
|               | 4      | अन्य पिछड़ा वर्ग (1)                     | OBC      | 3              |             |
|               | 5      | सामान्य महिला (3)                        | GEN(W)   | 2              |             |
|               | 6      |                                          | GEN(W)   | 8              |             |
|               | 7      |                                          | GEN(W)   | 9              |             |
|               | 8      | अनारक्षित वार्ड (2)                      | UR       | 1              |             |
|               | 9      |                                          | UR       | 4              |             |

नोट:- (W) महिला पढ़ा जावे।

स्थान:- तालेड़ा

दिनांक: 24 सितम्बर 2026

(गजेंद्र सिंह)  
उपखण्ड अधिकारी  
(प्राधिकृत अधिकारी) तालेड़ा

# कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) एवं उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा

## उद्घोषणा

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 15 के अन्तर्गत राज्य सरकार के द्वारा प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ. 15(24) पंरावि/आरक्षण/विधि/2026/42 दिनांक 24 जुलाई, 2026 के अन्तर्गत मैं गजेंद्र सिंह, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (प्राधिकृत अधिकारी) (पंचायत) एस.डी.एम. तालेड़ा जिला बूंदी की पंचायत समिति तालेड़ा की ग्राम पंचायत बरुन्धन वार्ड पंच के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये निर्धारित आरक्षण प्रावधानों एवं नियमों के अन्तर्गत व विधिवत लाटरी द्वारा निकाले जाने के पश्चात् पंचायत आम चुनाव 2026 के लिये निम्न प्रकार से ग्राम पंचायत के वार्डों को उक्त वर्गों हेतु आरक्षित घोषित करता हूँ:-

| पंचायत का नाम | क्र.स. | आरक्षित वर्ग का नाम एवं वार्डस की संख्या | वर्गीकरण | वार्ड का नम्बर | विशेष विवरण |
|---------------|--------|------------------------------------------|----------|----------------|-------------|
| बरुन्धन       | 1      | अनुसूचित जाति (3)                        | SC(W)    | 3              |             |
|               | 2      |                                          | SC       | 10             |             |
|               | 3      |                                          | SC       | 2              |             |
|               | 4      | अनुसूचित जनजाति (1)                      | ST       | 4              |             |
|               | 5      | अन्य पिछड़ा वर्ग (1)                     | OBC      | 5              |             |
|               | 6      | सामान्य महिला (4)                        | GEN(W)   | 8              |             |
|               | 7      |                                          | GEN(W)   | 7              |             |
|               | 8      |                                          | GEN(W)   | 9              |             |
|               | 9      |                                          | GEN(W)   | 1              |             |
|               | 10     | अनारक्षित वार्ड (2)                      | UR       | 6              |             |
|               | 11     |                                          | UR       | 11             |             |

नोट:- ( W ) महिला पढ़ा जावे।

स्थान:- तालेड़ा

दिनांक: 24 सितम्बर 2026

  
 (गजेंद्र सिंह)  
 उपखण्ड अधिकारी  
 (प्राधिकृत अधिकारी) तालेड़ा

# कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) एवं उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा

## उद्घोषणा

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 15 के अन्तर्गत राज्य सरकार के द्वारा प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ. 15(24) पंरावि/आरक्षण/विधि/2026/42 दिनांक 24 जुलाई, 2026 के अन्तर्गत मैं गजेंद्र सिंह, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (प्राधिकृत अधिकारी) (पंचायत) एस.डी.एम. तालेड़ा जिला बूंदी की पंचायत समिति तालेड़ा की ग्राम पंचायत केथूदा वार्ड पंच के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये निर्धारित आरक्षण प्रावधानों एवं नियमों के अन्तर्गत व विधिवत लाटरी द्वारा निकाले जाने के पश्चात् पंचायत आम चुनाव 2026 के लिये निम्न प्रकार से ग्राम पंचायत के वार्डों को उक्त वर्गों हेतु आरक्षित घोषित करता हूँ:-

| पंचायत का नाम | क्र.स. | आरक्षित वर्ग का नाम एवं वार्डस की संख्या | वर्गीकरण | वार्ड का नम्बर | विशेष विवरण |
|---------------|--------|------------------------------------------|----------|----------------|-------------|
| केथूदा        | 1      | अनुसूचित जाति (2)                        | SC(W)    | 6              |             |
|               | 2      |                                          | SC       | 8              |             |
|               | 3      | अनुसूचित जनजाति (1)                      | ST       | 2              |             |
|               | 4      | अन्य पिछड़ा वर्ग (2)                     | OBC(W)   | 3              |             |
|               | 5      |                                          | OBC      | 5              |             |
|               | 6      | सामान्य महिला (3)                        | GEN(W)   | 10             |             |
|               | 7      |                                          | GEN(W)   | 7              |             |
|               | 8      |                                          | GEN(W)   | 1              |             |
|               | 9      | अनारक्षित वार्ड (3)                      | UR       | 4              |             |
|               | 10     |                                          | UR       | 9              |             |
|               | 11     |                                          | UR       | 11             |             |

नोट:- (W) महिला पदा जावे।

स्थान:- तालेड़ा

दिनांक: 24 सितम्बर 2026

  
 (गजेंद्र सिंह)  
 उपखण्ड अधिकारी  
 (प्राधिकृत अधिकारी) तालेड़ा

# कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) एवं उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा

## उद्घोषणा

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 15 के अन्तर्गत राज्य सरकार के द्वारा प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ. 15(24) पंरावि/आरक्षण/विधि/2026/42 दिनांक 24 जुलाई, 2026 के अन्तर्गत मैं गजेंद्र सिंह, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (प्राधिकृत अधिकारी) (पंचायत) एस.डी.एम. तालेड़ा जिला बूंदी की पंचायत समिति तालेड़ा की ग्राम पंचायत लाडपुर वार्ड पंच के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये निर्धारित आरक्षण प्रावधानों एवं नियमों के अन्तर्गत व विधिवत लाटरी द्वारा निकाले जाने के पश्चात् पंचायत आम चुनाव 2026 के लिये निम्न प्रकार से ग्राम पंचायत के वार्डों को उक्त वर्गों हेतु आरक्षित घोषित करता हूँ:-

| पंचायत का नाम | क्र.स. | आरक्षित वर्ग का नाम एवं वार्डस की संख्या | वर्गीकरण | वार्ड का नम्बर | विशेष विवरण |
|---------------|--------|------------------------------------------|----------|----------------|-------------|
| लाडपुर        | 1      | अनुसूचित जाति (2)                        | SC(W)    | 5              |             |
|               | 2      |                                          | SC       | 1              |             |
|               | 3      | अनुसूचित जनजाति (2)                      | ST(W)    | 6              |             |
|               | 4      |                                          | ST       | 2              |             |
|               | 5      | सामान्य महिला (2)                        | GEN(W)   | 9              |             |
|               | 6      |                                          | GEN(W)   | 3              |             |
|               | 7      | अनारक्षित वार्ड (3)                      | UR       | 4              |             |
|               | 8      |                                          | UR       | 7              |             |
|               | 9      |                                          | UR       | 8              |             |

नोट:- (W) महिला पढ़ा जावे।

स्थान:- तालेड़ा

दिनांक: 24 सितम्बर 2026

(गजेंद्र सिंह)  
उपखण्ड अधिकारी  
(प्राधिकृत अधिकारी) तालेड़ा

# कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) एवं उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा

## उद्घोषणा

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 15 के अन्तर्गत राज्य सरकार के द्वारा प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ. 15(24) पंरावि/आरक्षण/विधि/2026/42 दिनांक 24 जुलाई, 2026 के अन्तर्गत मैं गजेंद्र सिंह, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (प्राधिकृत अधिकारी) (पंचायत) एस.डी.एम. तालेड़ा जिला बूंदी की पंचायत समिति तालेड़ा की ग्राम पंचायत लिलेड़ा व्यासान वार्ड पंच के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये निर्धारित आरक्षण प्रावधानों एवं नियमों के अन्तर्गत व विधिवत लाटरी द्वारा निकाले जाने के पश्चात् पंचायत आम चुनाव 2026 के लिये निम्न प्रकार से ग्राम पंचायत के वार्डों को उक्त वर्गों हेतु आरक्षित घोषित करता हूँ:-

| पंचायत का नाम   | क्र.स. | आरक्षित वर्ग का नाम एवं वार्डस की संख्या | वर्गीकरण | वार्ड का नम्बर | विशेष विवरण |
|-----------------|--------|------------------------------------------|----------|----------------|-------------|
| लिलेड़ा व्यासान | 1      | अनुसूचित जाति (2)                        | SC(W)    | 4              |             |
|                 | 2      |                                          | SC       | 3              |             |
|                 | 3      | अनुसूचित जनजाति (1)                      | ST       | 7              |             |
|                 | 4      | अन्य पिछड़ा वर्ग (1)                     | OBC      | 9              |             |
|                 | 5      | सामान्य महिला (3)                        | GEN(W)   | 8              |             |
|                 | 6      |                                          | GEN(W)   | 2              |             |
|                 | 7      |                                          | GEN(W)   | 1              |             |
|                 | 8      | अनारक्षित वार्ड (2)                      | UR       | 5              |             |
|                 | 9      |                                          | UR       | 6              |             |

नोट:- (W) महिला पदा जावे।

स्थान:- तालेड़ा

दिनांक: 24 सितम्बर 2026

(गजेंद्र सिंह)  
उपखण्ड अधिकारी  
(प्राधिकृत अधिकारी) तालेड़ा

# कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) एवं उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा

## उद्घोषणा

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 15 के अन्तर्गत राज्य सरकार के द्वारा प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ. 15(24) पंरावि/आरक्षण/विधि/2026/42 दिनांक 24 जुलाई, 2026 के अन्तर्गत मैं गजेंद्र सिंह, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (प्राधिकृत अधिकारी) (पंचायत) एस.डी.एम. तालेड़ा जिला बूंदी की पंचायत समिति तालेड़ा की ग्राम पंचायत सुवासा वार्ड पंच के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये निर्धारित आरक्षण प्रावधानों एवं नियमों के अन्तर्गत व विधिवत लाटरी द्वारा निकाले जाने के पश्चात् पंचायत आम चुनाव 2026 के लिये निम्न प्रकार से ग्राम पंचायत के वार्डों को उक्त वर्गों हेतु आरक्षित घोषित करता हूँ:-

| पंचायत का नाम | क्र.स. | आरक्षित वर्ग का नाम एवं वार्डस की संख्या | वर्गीकरण | वार्ड का नम्बर | विशेष विवरण |
|---------------|--------|------------------------------------------|----------|----------------|-------------|
| सुवासा        | 1      | अनुसूचित जाति (3)                        | SC(W)    | 8              |             |
|               | 2      |                                          | SC       | 2              |             |
|               | 3      |                                          | SC       | 7              |             |
|               | 4      | अनुसूचित जनजाति (1)                      | ST       | 11             |             |
|               | 5      | अन्य पिछड़ा वर्ग (1)                     | OBC      | 5              |             |
|               | 6      | सामान्य महिला (4)                        | GEN(W)   | 4              |             |
|               | 7      |                                          | GEN(W)   | 1              |             |
|               | 8      |                                          | GEN(W)   | 10             |             |
|               | 9      |                                          | GEN(W)   | 3              |             |
|               | 10     | अनारक्षित वार्ड (2)                      | UR       | 6              |             |
|               | 11     |                                          | UR       | 9              |             |

नोट:- (W) महिला पदा जावे।

स्थान:- तालेड़ा

दिनांक: 24 सितम्बर 2026

(गजेंद्र सिंह)  
उपखण्ड अधिकारी  
(प्राधिकृत अधिकारी)  
तालेड़ा

# कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) एवं उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा

## उद्घोषणा

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 15 के अन्तर्गत राज्य सरकार के द्वारा प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ. 15(24) पंरावि/आरक्षण/विधि/2026/42 दिनांक 24 जुलाई, 2026 के अन्तर्गत मैं गजेन्द्र सिंह, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (प्राधिकृत अधिकारी) (पंचायत) एस.डी.एम. तालेड़ा जिला बूंदी की पंचायत समिति तालेड़ा की ग्राम पंचायत तालेड़ा वार्ड पंच के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये निर्धारित आरक्षण प्रावधानों एवं नियमों के अन्तर्गत व विधिवत लाटरी द्वारा निकाले जाने के पश्चात् पंचायत आम चुनाव 2026 के लिये निम्न प्रकार से ग्राम पंचायत के वार्डों को उक्त वर्गों हेतु आरक्षित घोषित करता हूँ:-

| पंचायत का नाम | क्र.स. | आरक्षित वर्ग का नाम एवं वार्डस की संख्या | वर्गीकरण | वार्ड का नम्बर | विशेष विवरण |
|---------------|--------|------------------------------------------|----------|----------------|-------------|
| तालेड़ा       | 1      | अनुसूचित जाति (5)                        | SC(W)    | 3              |             |
|               | 2      |                                          | SC(W)    | 16             |             |
|               | 3      |                                          | SC       | 1              |             |
|               | 4      |                                          | SC       | 2              |             |
|               | 5      |                                          | SC       | 15             |             |
|               | 6      | अन्य पिछड़ा वर्ग (3)                     | OBC(W)   | 10             |             |
|               | 7      |                                          | OBC      | 11             |             |
|               | 8      |                                          | OBC      | 13             |             |
|               | 9      | सामान्य महिला (5)                        | GEN(W)   | 17             |             |
|               | 10     |                                          | GEN(W)   | 4              |             |
|               | 11     |                                          | GEN(W)   | 12             |             |
|               | 12     |                                          | GEN(W)   | 9              |             |
|               | 13     |                                          | GEN(W)   | 7              |             |
|               | 14     | अनारक्षित वार्ड (4)                      | UR       | 5              |             |
|               | 15     |                                          | UR       | 6              |             |
|               | 16     |                                          | UR       | 8              |             |
|               | 17     |                                          | UR       | 14             |             |

नोट:- (W) महिला पदा जावे।

स्थान:- तालेड़ा

दिनांक: 24 सितम्बर 2026

(गजेन्द्र सिंह)  
उपखण्ड अधिकारी  
(प्राधिकृत अधिकारी)  
तालेड़ा

# कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) एवं उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा

## उद्घोषणा

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 15 के अन्तर्गत राज्य सरकार के द्वारा प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ. 15(24) पंरावि/आरक्षण/विधि/2026/42 दिनांक 24 जुलाई, 2026 के अन्तर्गत मैं गजेन्द्र सिंह, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (प्राधिकृत अधिकारी) (पंचायत) एस.डी.एम. तालेड़ा जिला बूंदी की पंचायत समिति तालेड़ा की ग्राम पंचायत तीरथ वार्ड पंच के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये निर्धारित आरक्षण प्रावधानों एवं नियमों के अन्तर्गत व विधिवत लाटरी द्वारा निकाले जाने के पश्चात् पंचायत आम चुनाव 2026 के लिये निम्न प्रकार से ग्राम पंचायत के वार्डों को उक्त वर्गों हेतु आरक्षित घोषित करता हूँ:-

| पंचायत का नाम | क्र.स. | आरक्षित वर्ग का नाम एवं वार्डस की संख्या | वर्गीकरण | वार्ड का नम्बर | विशेष विवरण |
|---------------|--------|------------------------------------------|----------|----------------|-------------|
| तीरथ          | 1      | अनुसूचित जनजाति (4)                      | ST(W)    | 2              |             |
|               | 2      |                                          | ST(W)    | 10             |             |
|               | 3      |                                          | ST       | 3              |             |
|               | 4      |                                          | ST       | 7              |             |
|               | 5      | अन्य पिछड़ा वर्ग (1)                     | OBC      | 1              |             |
|               | 6      | सामान्य महिला (3)                        | GEN(W)   | 5              |             |
|               | 7      |                                          | GEN(W)   | 9              |             |
|               | 8      |                                          | GEN(W)   | 4              |             |
|               | 9      | अनारक्षित वार्ड (3)                      | UR       | 6              |             |
|               | 10     |                                          | UR       | 8              |             |
|               | 11     |                                          | UR       | 11             |             |

नोट:- ( W ) महिला पढ़ा जावे।

स्थान:- तालेड़ा

दिनांक: 24 सितम्बर 2026

(गजेन्द्र सिंह)  
उपखण्ड अधिकारी  
(प्राधिकृत अधिकारी) तालेड़ा

# कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) एवं उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा

## उद्घोषणा

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 15 के अन्तर्गत राज्य सरकार के द्वारा प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ. 15(24) पंरावि/आरक्षण/विधि/2026/42 दिनांक 24 जुलाई, 2026 के अन्तर्गत मैं गजेंद्र सिंह, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (प्राधिकृत अधिकारी) (पंचायत) एस.डी.एम. तालेड़ा जिला बूंदी की पंचायत समिति तालेड़ा की ग्राम पंचायत डाबी वार्ड पंच के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये निर्धारित आरक्षण प्रावधानों एवं नियमों के अन्तर्गत व विधिवत लाटरी द्वारा निकाले जाने के पश्चात् पंचायत आम चुनाव 2026 के लिये निम्न प्रकार से ग्राम पंचायत के वार्डों को उक्त वर्गों हेतु आरक्षित घोषित करता हूँ:-

| पंचायत का नाम | क्र.स. | आरक्षित वर्ग का नाम एवं वार्डस की संख्या | वर्गीकरण | वार्ड का नम्बर | विशेष विवरण |
|---------------|--------|------------------------------------------|----------|----------------|-------------|
| डाबी          | 1      | अनुसूचित जाति (3)                        | SC(W)    | 15             |             |
|               | 2      |                                          | SC       | 11             |             |
|               | 3      |                                          | SC       | 20             |             |
|               | 4      | अनुसूचित जनजाति (5)                      | ST(W)    | 2              |             |
|               | 5      |                                          | ST(W)    | 21             |             |
|               | 6      |                                          | ST       | 1              |             |
|               | 7      |                                          | ST       | 4              |             |
|               | 8      |                                          | ST       | 19             |             |
|               | 9      | अन्य पिछड़ा वर्ग (2)                     | OBC(W)   | 12             |             |
|               | 10     |                                          | OBC      | 8              |             |
|               | 11     | सामान्य महिला (6)                        | GEN(W)   | 6              |             |
|               | 12     |                                          | GEN(W)   | 7              |             |
|               | 13     |                                          | GEN(W)   | 16             |             |
|               | 14     |                                          | GEN(W)   | 14             |             |
|               | 15     |                                          | GEN(W)   | 5              |             |
|               | 16     |                                          | GEN(W)   | 9              |             |
|               | 17     | अनारक्षित वार्ड (5)                      | UR       | 3              |             |
|               | 18     |                                          | UR       | 10             |             |
|               | 19     |                                          | UR       | 13             |             |
|               | 20     |                                          | UR       | 17             |             |
|               | 21     |                                          | UR       | 18             |             |

नोट:- ( W ) महिला पदा जावे।

स्थान:- तालेड़ा

दिनांक: 24 सितम्बर 2026

(गजेंद्र सिंह)  
उपखण्ड अधिकारी  
(प्राधिकृत अधिकारी)तालेड़ा

# कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) एवं उपखण्ड अधिकारी, तालेडा

## उद्घोषणा

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 15 के अन्तर्गत राज्य सरकार के द्वारा प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ. 15(24) पंरावि/आरक्षण/विधि/2026/42 दिनांक 24 जुलाई, 2026 के अन्तर्गत मैं गजेंद्र सिंह, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (प्राधिकृत अधिकारी) (पंचायत) एस.डी.एम. तालेडा जिला बूंदी की पंचायत समिति तालेडा की ग्राम पंचायत सूतडा वार्ड पंच के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये निर्धारित आरक्षण प्रावधानों एवं नियमों के अन्तर्गत व विधिवत लाटरी द्वारा निकाले जाने के पश्चात् पंचायत आम चुनाव 2026 के लिये निम्न प्रकार से ग्राम पंचायत के वार्डों को उक्त वर्गों हेतु आरक्षित घोषित करता हूँ:-

| पंचायत का नाम | क्र.स. | आरक्षित वर्ग का नाम एवं वार्डस की संख्या | वर्गीकरण | वार्ड का नम्बर | विशेष विवरण |
|---------------|--------|------------------------------------------|----------|----------------|-------------|
| सूतडा         | 1      | अनुसूचित जाति (1)                        | SC       | 7              |             |
|               | 2      | अनुसूचित जनजाति (2)                      | ST(W)    | 5              |             |
|               | 3      |                                          | ST       | 4              |             |
|               | 4      | अन्य पिछड़ा वर्ग (2)                     | OBC(W)   | 6              |             |
|               | 5      |                                          | OBC      | 1              |             |
|               | 6      | सामान्य महिला (3)                        | GEN(W)   | 2              |             |
|               | 7      |                                          | GEN(W)   | 8              |             |
|               | 8      |                                          | GEN(W)   | 10             |             |
|               | 9      | अनारक्षित वार्ड (3)                      | UR       | 3              |             |
|               | 10     |                                          | UR       | 9              |             |
|               | 11     |                                          | UR       | 11             |             |

नोट:- ( W ) महिला पढा जावे।

स्थान:- तालेडा

दिनांक: 24 सितम्बर 2026

  
 गजेंद्र सिंह  
 उपखण्ड अधिकारी  
 (प्राधिकृत अधिकारी)  
 तालेडा

# कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) एवं उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा

## उद्घोषणा

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 15 के अन्तर्गत राज्य सरकार के द्वारा प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ. 15(24) पंरावि/आरक्षण/विधि/2026/42 दिनांक 24 जुलाई, 2026 के अन्तर्गत मैं गजेंद्र सिंह, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (प्राधिकृत अधिकारी) (पंचायत) एस.डी.एम. तालेड़ा जिला बूंदी की पंचायत समिति तालेड़ा की ग्राम पंचायत कंवरपुरा वार्ड पंच के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये निर्धारित आरक्षण प्रावधानों एवं नियमों के अन्तर्गत व विधिवत लाटरी द्वारा निकाले जाने के पश्चात् पंचायत आम चुनाव 2026 के लिये निम्न प्रकार से ग्राम पंचायत के वार्डों को उक्त वर्गों हेतु आरक्षित घोषित करता हूँ:-

| पंचायत का नाम | क्र.स. | आरक्षित वर्ग का नाम एवं वार्डस की संख्या | वर्गीकरण | वार्ड का नम्बर | विशेष विवरण |
|---------------|--------|------------------------------------------|----------|----------------|-------------|
| कंवरपुरा      | 1      | अनुसूचित जनजाति (3)                      | ST(W)    | 5              |             |
|               | 2      |                                          | ST       | 3              |             |
|               | 3      |                                          | ST       | 8              |             |
|               | 4      | अन्य पिछड़ा वर्ग (1)                     | OBC      | 9              |             |
|               | 5      | सामान्य महिला (3)                        | GEN(W)   | 6              |             |
|               | 6      |                                          | GEN(W)   | 7              |             |
|               | 7      |                                          | GEN(W)   | 2              |             |
|               | 8      | अनारक्षित वार्ड (2)                      | UR       | 1              |             |
|               | 9      |                                          | UR       | 4              |             |

नोट:- ( W ) महिला पढ़ा जावे।

स्थान:- तालेड़ा

दिनांक: 24 सितम्बर 2026

(गजेंद्र सिंह)  
उपखण्ड अधिकारी  
(प्राधिकृत अधिकारी)  
तालेड़ा

# कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) एवं उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा

## उद्घोषणा

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 15 के अन्तर्गत राज्य सरकार के द्वारा प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ. 15(24) पंरावि/आरक्षण/विधि/2026/42 दिनांक 24 जुलाई, 2026 के अन्तर्गत मैं गजेन्द्र सिंह, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (प्राधिकृत अधिकारी) (पंचायत) एस.डी.एम. तालेड़ा जिला बूंदी की पंचायत समिति तालेड़ा की ग्राम पंचायत गोपालपुरा वार्ड पंच के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये निर्धारित आरक्षण प्रावधानों एवं नियमों के अन्तर्गत व विधिवत लाटरी द्वारा निकाले जाने के पश्चात् पंचायत आम चुनाव 2026 के लिये निम्न प्रकार से ग्राम पंचायत के वार्डों को उक्त वर्गों हेतु आरक्षित घोषित करता हूँ:-

| पंचायत का नाम | क्र.स. | आरक्षित वर्ग का नाम एवं वार्डस की संख्या | वर्गीकरण | वार्ड का नम्बर | विशेष विवरण |
|---------------|--------|------------------------------------------|----------|----------------|-------------|
| गोपालपुरा     | 1      | अनुसूचित जाति (1)                        | SC       | 6              |             |
|               | 2      | अनुसूचित जनजाति (2)                      | ST(W)    | 9              |             |
|               | 3      |                                          | ST       | 1              |             |
|               | 4      | अन्य पिछड़ा वर्ग (1)                     | OBC      | 7              |             |
|               | 5      | सामान्य महिला (3)                        | GEN(W)   | 5              |             |
|               | 6      |                                          | GEN(W)   | 4              |             |
|               | 7      |                                          | GEN(W)   | 2              |             |
|               | 8      | अनारक्षित वार्ड (2)                      | UR       | 3              |             |
|               | 9      |                                          | UR       | 8              |             |

नोट:- ( W ) महिला पदा जावे।

स्थान:- तालेड़ा

दिनांक: 24 सितम्बर 2026

गजेन्द्र सिंह)  
उपखण्ड अधिकारी  
(प्राधिकृत अधिकारी)  
तालेड़ा

# कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) एवं उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा

## उद्घोषणा

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 15 के अन्तर्गत राज्य सरकार के द्वारा प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ. 15(24) पंरावि/आरक्षण/विधि/2026/42 दिनांक 24 जुलाई, 2026 के अन्तर्गत मैं गजेन्द्र सिंह, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (प्राधिकृत अधिकारी) (पंचायत) एस.डी.एम. तालेड़ा जिला बूंदी की पंचायत समिति तालेड़ा की ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुरा वार्ड पंच के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये निर्धारित आरक्षण प्रावधानों एवं नियमों के अन्तर्गत व विधिवत लाटरी द्वारा निकाले जाने के पश्चात् पंचायत आम चुनाव 2026 के लिये निम्न प्रकार से ग्राम पंचायत के वार्डों को उक्त वर्गों हेतु आरक्षित घोषित करता हूँ:-

| पंचायत का नाम | क्र.स. | आरक्षित वर्ग का नाम एवं वार्डस की संख्या | वर्गीकरण | वार्ड का नम्बर | विशेष विवरण |
|---------------|--------|------------------------------------------|----------|----------------|-------------|
| लक्ष्मीपुरा   | 1      | अनुसूचित जाति (1)                        | SC       | 6              |             |
|               | 2      | अनुसूचित जनजाति (3)                      | ST(W)    | 1              |             |
|               | 3      |                                          | ST       | 2              |             |
|               | 4      |                                          | ST       | 3              |             |
|               | 5      | अन्य पिछड़ा वर्ग (1)                     | OBC      | 11             |             |
|               | 6      | सामान्य महिला (4)                        | GEN(W)   | 5              |             |
|               | 7      |                                          | GEN(W)   | 7              |             |
|               | 8      |                                          | GEN(W)   | 9              |             |
|               | 9      |                                          | GEN(W)   | 10             |             |
|               | 10     | अनारक्षित वार्ड (2)                      | UR       | 4              |             |
|               | 11     |                                          | UR       | 8              |             |

नोट:- ( W ) महिला पढ़ा जावे।

स्थान:- तालेड़ा

दिनांक: 24 सितम्बर 2026

(गजेन्द्र सिंह)  
उपखण्ड अधिकारी  
(प्राधिकृत अधिकारी)  
तालेड़ा

# कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) एवं उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा

## उद्घोषणा

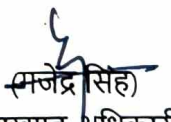
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 15 के अन्तर्गत राज्य सरकार के द्वारा प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ. 15(24) पंरावि/आरक्षण/विधि/2026/42 दिनांक 24 जुलाई, 2026 के अन्तर्गत मैं गजेन्द्र सिंह, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (प्राधिकृत अधिकारी) (पंचायत) एस.डी.एम. तालेड़ा जिला बूंदी की पंचायत समिति तालेड़ा की ग्राम पंचायत देवरिया वार्ड पंच के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये निर्धारित आरक्षण प्रावधानों एवं नियमों के अन्तर्गत व विधिवत लाटरी द्वारा निकाले जाने के पश्चात् पंचायत आम चुनाव 2026 के लिये निम्न प्रकार से ग्राम पंचायत के वार्डों को उक्त वर्गों हेतु आरक्षित घोषित करता हूँ:-

| पंचायत का नाम | क्र.स. | आरक्षित वर्ग का नाम एवं वार्डस की संख्या | वर्गीकरण | वार्ड का नम्बर | विशेष विवरण |
|---------------|--------|------------------------------------------|----------|----------------|-------------|
| देवरिया       | 1      | अनुसूचित जाति (2)                        | SC(W)    | 8              |             |
|               | 2      |                                          | SC       | 7              |             |
|               | 3      | अनुसूचित जनजाति (1)                      | ST       | 2              |             |
|               | 4      | अन्य पिछड़ा वर्ग (1)                     | OBC      | 4              |             |
|               | 5      | सामान्य महिला (3)                        | GEN(W)   | 6              |             |
|               | 6      |                                          | GEN(W)   | 1              |             |
|               | 7      |                                          | GEN(W)   | 9              |             |
|               | 8      | अनारक्षित वार्ड (2)                      | UR       | 3              |             |
|               | 9      |                                          | UR       | 5              |             |

नोट:- (W) महिला पढा जावे।

स्थान:- तालेड़ा

दिनांक: 24 सितम्बर 2026

  
(गजेन्द्र सिंह)  
उपखण्ड अधिकारी  
(प्राधिकृत अधिकारी)  
तालेड़ा

# कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) एवं उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा

## उद्घोषणा

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 15 के अन्तर्गत राज्य सरकार के द्वारा प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ. 15(24) पंरावि/आरक्षण/विधि/2026/42 दिनांक 24 जुलाई, 2026 के अन्तर्गत मैं गजेन्द्र सिंह, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (प्राधिकृत अधिकारी) (पंचायत) एस.डी.एम. तालेड़ा जिला बूंदी की पंचायत समिति तालेड़ा की ग्राम पंचायत गणेशपुरा वार्ड पंच के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये निर्धारित आरक्षण प्रावधानों एवं नियमों के अन्तर्गत व विधिवत लाटरी द्वारा निकाले जाने के पश्चात् पंचायत आम चुनाव 2026 के लिये निम्न प्रकार से ग्राम पंचायत के वार्डों को उक्त वर्गों हेतु आरक्षित घोषित करता हूँ:-

| पंचायत का नाम | क्र.स. | आरक्षित वर्ग का नाम एवं वार्डस की संख्या | वर्गीकरण | वार्ड का नम्बर | विशेष विवरण |
|---------------|--------|------------------------------------------|----------|----------------|-------------|
| गणेशपुरा      | 1      | अनुसूचित जाति (1)                        | SC       | 3              |             |
|               | 2      | अनुसूचित जनजाति (3)                      | ST(W)    | 11             |             |
|               | 3      |                                          | ST       | 5              |             |
|               | 4      |                                          | ST       | 6              |             |
|               | 5      | अन्य पिछड़ा वर्ग (1)                     | OBC      | 1              |             |
|               | 6      | सामान्य महिला (4)                        | GEN(W)   | 8              |             |
|               | 7      |                                          | GEN(W)   | 10             |             |
|               | 8      |                                          | GEN(W)   | 2              |             |
|               | 9      |                                          | GEN(W)   | 7              |             |
|               | 10     | अनारक्षित वार्ड (2)                      | UR       | 4              |             |
|               | 11     |                                          | UR       | 9              |             |

नोट:- (W) महिला पढ़ा जावे।

स्थान:- तालेड़ा

दिनांक: 24 सितम्बर 2026

  
(गजेन्द्र सिंह)  
उपखण्ड अधिकारी  
(प्राधिकृत अधिकारी)  
तालेड़ा

# कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) एवं उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा

## उद्घोषणा

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 15 के अन्तर्गत राज्य सरकार के द्वारा प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ. 15(24) पंरावि/आरक्षण/विधि/2026/42 दिनांक 24 जुलाई, 2026 के अन्तर्गत मैं गजेन्द्र सिंह, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (प्राधिकृत अधिकारी) (पंचायत) एस.डी.एम. तालेड़ा जिला बूंदी की पंचायत समिति तालेड़ा की ग्राम पंचायत डोरा वार्ड पंच के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये निर्धारित आरक्षण प्रावधानों एवं नियमों के अन्तर्गत व विधिवत लाटरी द्वारा निकाले जाने के पश्चात् पंचायत आम चुनाव 2026 के लिये निम्न प्रकार से ग्राम पंचायत के वार्डों को उक्त वर्गों हेतु आरक्षित घोषित करता हूँ:-

| पंचायत का नाम | क्र.स. | आरक्षित वर्ग का नाम एवं वार्डस की संख्या | वर्गीकरण | वार्ड का नम्बर | विशेष विवरण |
|---------------|--------|------------------------------------------|----------|----------------|-------------|
| डोरा          | 1      | अनुसूचित जाति (1)                        | SC       | 1              |             |
|               | 2      | अनुसूचित जनजाति (1)                      | ST       | 6              |             |
|               | 3      | अन्य पिछड़ा वर्ग (1)                     | OBC(W)   | 7              |             |
|               | 4      | सामान्य महिला (2)                        | GEN(W)   | 5              |             |
|               | 5      |                                          | GEN(W)   | 4              |             |
|               | 6      | अनारक्षित वार्ड (2)                      | UR       | 2              |             |
|               | 7      |                                          | UR       | 3              |             |

नोट:- ( W ) महिला पढ़ा जावे।

स्थान:- तालेड़ा

दिनांक: 24 सितम्बर 2026

5  
(सजेंद्र सिंह)  
उपखण्ड अधिकारी  
(प्राधिकृत अधिकारी)  
तालेड़ा

# कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) एवं उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा

## उद्घोषणा

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 15 के अन्तर्गत राज्य सरकार के द्वारा प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ. 15(24) पंरावि/आरक्षण/विधि/2026/42 दिनांक 24 जुलाई, 2026 के अन्तर्गत मैं गजेन्द्र सिंह, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (प्राधिकृत अधिकारी) (पंचायत) एस.डी.एम. तालेड़ा जिला बूंदी की पंचायत समिति तालेड़ा की ग्राम पंचायत बिजाडी वार्ड पंच के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये निर्धारित आरक्षण प्रावधानों एवं नियमों के अन्तर्गत व विधिवत लाटरी द्वारा निकाले जाने के पश्चात् पंचायत आम चुनाव 2026 के लिये निम्न प्रकार से ग्राम पंचायत के वार्डों को उक्त वर्गों हेतु आरक्षित घोषित करता हूँ:-

| पंचायत का नाम | क्र.स. | आरक्षित वर्ग का नाम एवं वार्डस की संख्या | वर्गीकरण | वार्ड का नम्बर | विशेष विवरण |
|---------------|--------|------------------------------------------|----------|----------------|-------------|
| बिजाडी        | 1      | अनुसूचित जनजाति (3)                      | ST(W)    | 5              |             |
|               | 2      |                                          | ST       | 9              |             |
|               | 3      |                                          | ST       | 10             |             |
|               | 4      | अन्य पिछड़ा वर्ग (2)                     | OBC(W)   | 4              |             |
|               | 5      |                                          | OBC      | 2              |             |
|               | 6      | सामान्य महिला (3)                        | GEN(W)   | 11             |             |
|               | 7      |                                          | GEN(W)   | 7              |             |
|               | 8      |                                          | GEN(W)   | 8              |             |
|               | 9      | अनारक्षित वार्ड (3)                      | UR       | 1              |             |
|               | 10     |                                          | UR       | 3              |             |
|               | 11     |                                          | UR       | 6              |             |

नोट:- ( W ) महिला पढा जावे।

स्थान:- तालेड़ा

दिनांक: 24 सितम्बर 2026

(गजेन्द्र सिंह)  
उपखण्ड अधिकारी  
(प्राधिकृत अधिकारी)  
तालेड़ा

# कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) एवं उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा

## उद्घोषणा

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 15 के अन्तर्गत राज्य सरकार के द्वारा प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ. 15(24) पंरावि/आरक्षण/विधि/2026/42 दिनांक 24 जुलाई, 2026 के अन्तर्गत मैं गजेन्द्र सिंह, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (प्राधिकृत अधिकारी) (पंचायत) एस.डी.एम. तालेड़ा जिला बूंदी की पंचायत समिति तालेड़ा की ग्राम पंचायत राजपुरा वार्ड पंच के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये निर्धारित आरक्षण प्रावधानों एवं नियमों के अन्तर्गत व विधिवत लाटरी द्वारा निकाले जाने के पश्चात् पंचायत आम चुनाव 2026 के लिये निम्न प्रकार से ग्राम पंचायत के वार्डों को उक्त वर्गों हेतु आरक्षित घोषित करता हूँ:-

| पंचायत का नाम | क्र.स. | आरक्षित वर्ग का नाम एवं वार्डस की संख्या | वर्गीकरण | वार्ड का नम्बर | विशेष विवरण |
|---------------|--------|------------------------------------------|----------|----------------|-------------|
| राजपुरा       | 1      | अनुसूचित जाति (2)                        | SC(W)    | 1              |             |
|               | 2      |                                          | SC       | 2              |             |
|               | 3      | अनुसूचित जनजाति (1)                      | ST       | 9              |             |
|               | 4      | अन्य पिछड़ा वर्ग (1)                     | OBC      | 6              |             |
|               | 5      | सामान्य महिला (3)                        | GEN(W)   | 5              |             |
|               | 6      |                                          | GEN(W)   | 7              |             |
|               | 7      |                                          | GEN(W)   | 4              |             |
|               | 8      | अनारक्षित वार्ड (2)                      | UR       | 3              |             |
|               | 9      |                                          | UR       | 8              |             |

नोट:- ( W ) महिला पढ़ा जावे।

स्थान:- तालेड़ा

दिनांक: 24 सितम्बर 2026

  
(गजेन्द्र सिंह)  
उपखण्ड अधिकारी  
(प्राधिकृत अधिकारी)  
तालेड़ा

# कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) एवं उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा

## उद्घोषणा

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 15 के अन्तर्गत राज्य सरकार के द्वारा प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ. 15(24) पंरावि/आरक्षण/विधि/2026/42 दिनांक 24 जुलाई, 2026 के अन्तर्गत मैं गजेंद्र सिंह, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (प्राधिकृत अधिकारी) (पंचायत) एस.डी.एम. तालेड़ा जिला बूंदी की पंचायत समिति तालेड़ा की ग्राम पंचायत ढसालिया वार्ड पंच के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये निर्धारित आरक्षण प्रावधानों एवं नियमों के अन्तर्गत व विधिवत लाटरी द्वारा निकाले जाने के पश्चात् पंचायत आम चुनाव 2026 के लिये निम्न प्रकार से ग्राम पंचायत के वार्डों को उक्त वर्गों हेतु आरक्षित घोषित करता हूँ:-

| पंचायत का नाम | क्र.स. | आरक्षित वर्ग का नाम एवं वार्डस की संख्या | वर्गीकरण | वार्ड का नम्बर | विशेष विवरण |
|---------------|--------|------------------------------------------|----------|----------------|-------------|
| ढसालिया       | 1      | अनुसूचित जनजाति (2)                      | ST(W)    | 2              |             |
|               | 2      |                                          | ST       | 7              |             |
|               | 3      | अन्य पिछड़ा वर्ग (1)                     | OBC      | 1              |             |
|               | 4      | सामान्य महिला (2)                        | GEN(W)   | 5              |             |
|               | 5      |                                          | GEN(W)   | 4              |             |
|               | 6      | अनारक्षित वार्ड (2)                      | UR       | 3              |             |
|               | 7      |                                          | UR       | 6              |             |

नोट:- ( W ) महिला पढ़ा जावे।

स्थान:- तालेड़ा

दिनांक: 24 सितम्बर 2026

(गजेंद्र सिंह)  
उपखण्ड अधिकारी  
(प्राधिकृत अधिकारी)  
तालेड़ा

# कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) एवं उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा

## उद्घोषणा

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 15 के अन्तर्गत राज्य सरकार के द्वारा प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ. 15(24) पंरावि/आरक्षण/विधि/2026/42 दिनांक 24 जुलाई, 2026 के अन्तर्गत मैं गजेंद्र सिंह, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (प्राधिकृत अधिकारी) (पंचायत) एस.डी.एम. तालेड़ा जिला बूंदी की पंचायत समिति तालेड़ा की ग्राम पंचायत धनेश्वर वार्ड पंच के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये निर्धारित आरक्षण प्रावधानों एवं नियमों के अन्तर्गत व विधिवत लाटरी द्वारा निकाले जाने के पश्चात् पंचायत आम चुनाव 2026 के लिये निम्न प्रकार से ग्राम पंचायत के वार्डों को उक्त वर्गों हेतु आरक्षित घोषित करता हूँ:-

| पंचायत का नाम | क्र.स. | आरक्षित वर्ग का नाम एवं वार्डस की संख्या | वर्गीकरण | वार्ड का नम्बर | विशेष विवरण |
|---------------|--------|------------------------------------------|----------|----------------|-------------|
| धनेश्वर       | 1      | अनुसूचित जाति (2)                        | SC(W)    | 6              |             |
|               | 2      |                                          | SC       | 4              |             |
|               | 3      | अनुसूचित जनजाति (4)                      | ST(W)    | 7              |             |
|               | 4      |                                          | ST(W)    | 10             |             |
|               | 5      |                                          | ST       | 1              |             |
|               | 6      |                                          | ST       | 2              |             |
|               | 7      | अन्य पिछड़ा वर्ग (1)                     | OBC      | 11             |             |
|               | 8      | सामान्य महिला (4)                        | GEN(W)   | 14             |             |
|               | 9      |                                          | GEN(W)   | 5              |             |
|               | 10     |                                          | GEN(W)   | 15             |             |
|               | 11     |                                          | GEN(W)   | 12             |             |
|               | 12     | अनारक्षित वार्ड (4)                      | UR       | 3              |             |
|               | 13     |                                          | UR       | 8              |             |
|               | 14     |                                          | UR       | 9              |             |
|               | 15     |                                          | UR       | 13             |             |

नोट:- ( W ) महिला पढ़ा जावे।

स्थान:- तालेड़ा

दिनांक: 24 सितम्बर 2026

2  
(गजेंद्र सिंह)  
उपखण्ड अधिकारी  
(प्राधिकृत अधिकारी) तालेड़ा

# कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) एवं उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा

## उद्घोषणा

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 15 के अन्तर्गत राज्य सरकार के द्वारा प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ. 15(24) पंरावि/आरक्षण/विधि/2026/42 दिनांक 24 जुलाई, 2026 के अन्तर्गत मैं गजेंद्र सिंह, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (प्राधिकृत अधिकारी) (पंचायत) एस.डी.एम. तालेड़ा जिला बूंदी की पंचायत समिति तालेड़ा की ग्राम पंचायत बुधपुरा वार्ड पंच के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये निर्धारित आरक्षण प्रावधानों एवं नियमों के अन्तर्गत व विधिवत लाटरी द्वारा निकाले जाने के पश्चात् पंचायत आम चुनाव 2026 के लिये निम्न प्रकार से ग्राम पंचायत के वार्डों को उक्त वर्गों हेतु आरक्षित घोषित करता हूँ:-

| पंचायत का नाम | क्र.स. | आरक्षित वर्ग का नाम एवं वार्डस की संख्या | वर्गीकरण | वार्ड का नम्बर | विशेष विवरण |
|---------------|--------|------------------------------------------|----------|----------------|-------------|
| बुधपुरा       | 1      | अनुसूचित जाति (4)                        | SC(W)    | 15             |             |
|               | 2      |                                          | SC(W)    | 9              |             |
|               | 3      |                                          | SC       | 12             |             |
|               | 4      |                                          | SC       | 13             |             |
|               | 5      | अनुसूचित जनजाति (2)                      | ST(W)    | 4              |             |
|               | 6      |                                          | ST       | 7              |             |
|               | 7      | अन्य पिछड़ा वर्ग (1)                     | OBC      | 3              |             |
|               | 8      | सामान्य महिला (4)                        | GEN(W)   | 11             |             |
|               | 9      |                                          | GEN(W)   | 14             |             |
|               | 10     |                                          | GEN(W)   | 2              |             |
|               | 11     |                                          | GEN(W)   | 10             |             |
|               | 12     | अनारक्षित वार्ड (4)                      | UR       | 1              |             |
|               | 13     |                                          | UR       | 5              |             |
|               | 14     |                                          | UR       | 6              |             |
|               | 15     |                                          | UR       | 8              |             |

नोट:- ( W ) महिला पढ़ा जावे।

स्थान:- तालेड़ा

दिनांक: 24 सितम्बर 2026

  
 (गजेंद्र सिंह)  
 उपखण्ड अधिकारी  
 (प्राधिकृत अधिकारी) तालेड़ा

# कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) एवं उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा

## उद्घोषणा

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 15 के अन्तर्गत राज्य सरकार के द्वारा प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ. 15(24) पंरावि/आरक्षण/विधि/2026/42 दिनांक 24 जुलाई, 2026 के अन्तर्गत मैं गजेन्द्र सिंह, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (प्राधिकृत अधिकारी) (पंचायत) एस.डी.एम. तालेड़ा जिला बूंदी की पंचायत समिति तालेड़ा की ग्राम पंचायत लाम्बाखोह वार्ड पंच के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये निर्धारित आरक्षण प्रावधानों एवं नियमों के अन्तर्गत व विधिवत लाटरी द्वारा निकाले जाने के पश्चात् पंचायत आम चुनाव 2026 के लिये निम्न प्रकार से ग्राम पंचायत के वार्डों को उक्त वर्गों हेतु आरक्षित घोषित करता हूँ:-

| पंचायत का नाम | क्र.स. | आरक्षित वर्ग का नाम एवं वार्डस की संख्या | वर्गीकरण | वार्ड का नम्बर | विशेष विवरण |
|---------------|--------|------------------------------------------|----------|----------------|-------------|
| लाम्बाखोह     | 1      | अनुसूचित जाति (2)                        | SC(W)    | 7              |             |
|               | 2      |                                          | SC       | 8              |             |
|               | 3      | अनुसूचित जनजाति (2)                      | ST(W)    | 4              |             |
|               | 4      |                                          | ST       | 9              |             |
|               | 5      | अन्य पिछड़ा वर्ग (1)                     | OBC      | 11             |             |
|               | 6      | सामान्य महिला (3)                        | GEN(W)   | 1              |             |
|               | 7      |                                          | GEN(W)   | 6              |             |
|               | 8      |                                          | GEN(W)   | 3              |             |
|               | 9      | अनारक्षित वार्ड (3)                      | UR       | 2              |             |
|               | 10     |                                          | UR       | 5              |             |
|               | 11     |                                          | UR       | 10             |             |

नोट:- (W) महिला पढ़ा जावे।

स्थान:- तालेड़ा

दिनांक: 24 सितम्बर 2026

(गजेन्द्र सिंह)  
उपखण्ड अधिकारी  
(प्राधिकृत अधिकारी) तालेड़ा

# कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) एवं उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा

## उद्घोषणा

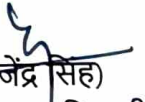
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 15 के अन्तर्गत राज्य सरकार के द्वारा प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ. 15(24) पंरावि/आरक्षण/विधि/2026/42 दिनांक 24 जुलाई, 2026 के अन्तर्गत मैं गजेन्द्र सिंह, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (प्राधिकृत अधिकारी) (पंचायत) एस.डी.एम. तालेड़ा जिला बूंदी की पंचायत समिति तालेड़ा की ग्राम पंचायत जवाहर सागर वार्ड पंच के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये निर्धारित आरक्षण प्रावधानों एवं नियमों के अन्तर्गत व विधिवत लाटरी द्वारा निकाले जाने के पश्चात् पंचायत आम चुनाव 2026 के लिये निम्न प्रकार से ग्राम पंचायत के वार्डों को उक्त वर्गों हेतु आरक्षित घोषित करता हूँ:-

| पंचायत का नाम | क्र.स. | आरक्षित वर्ग का नाम एवं वार्डस की संख्या | वर्गीकरण | वार्ड का नम्बर | विशेष विवरण |
|---------------|--------|------------------------------------------|----------|----------------|-------------|
| जवाहर सागर    | 1      | अनुसूचित जाति (1)                        | SC(W)    | 1              |             |
|               | 2      | अनुसूचित जनजाति (1)                      | ST       | 2              |             |
|               | 3      | अन्य पिछड़ा वर्ग (1)                     | OBC      | 5              |             |
|               | 4      | सामान्य महिला (2)                        | GEN(W)   | 4              |             |
|               | 5      |                                          | GEN(W)   | 7              |             |
|               | 6      | अनारक्षित वार्ड (2)                      | UR       | 3              |             |
|               | 7      |                                          | UR       | 6              |             |

नोट:- ( W ) महिला पढ़ा जावे।

स्थान:- तालेड़ा

दिनांक: 24 सितम्बर 2026

  
(गजेन्द्र सिंह)  
उपखण्ड अधिकारी  
(प्राधिकृत अधिकारी) तालेड़ा